

सोमवार, 18 जुलाई, 2022/27 आषाढ़, 1944 (शक)

कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस)-95 योजना

207. श्री राजमोहन उन्नीथन:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि भविष्य निधि पेंशन के आरम्भ से अब तक 30 लाख पात्र व्यक्तियों को 1000 रुपये की न्यूनतम पेंशन प्राप्त नहीं हुई है;
- (ख) क्या सरकार ने प्रत्येक दस वर्ष पर कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस)-95 की समीक्षा और संशोधन के लिए कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ग) क्या सर्वोच्च न्यायालय ने सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान न होने की जांच के लिए तीन सदस्यीय पीठ का गठन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) क्या सरकार भविष्य निधि पेंशन में व्यापक संशोधन पर कार्य कर रही है और यदि हां, तो निकट भविष्य में इसे लागू करने की योजना का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

**श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)**

(क): जी नहीं।

(ख): कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 (ईपीएस - 95) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध (ईपीएफ और एमपी) अधिनियम, 1952 की धारा 6क द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया है। ईपीएस - 95 दिनांक 19.11.1995 को लागू किया गया। योजनाओं की समीक्षा और उनमें संशोधन करना एक सतत प्रक्रिया है। विशेषज्ञ समिति और उच्च अधिकार प्राप्त निगरानी समिति की सिफारिशों के साथ साथ कर्मचारी पेंशन निधि के बीमांकिक मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए ईपीएस - 95 के उपबंधों की समय समय पर समीक्षा की गई है। ईपीएस - 95 में किए गए कुछ महत्वपूर्ण संशोधन निम्नानुसार हैं:

- (i) दिनांक 01.09.2014 से मजदूरी सीमा 6500/- रु. से बढ़ाकर 15000 रु. प्रति माह की गई है।
- (ii) पेंशन आकलन के लिए पूर्व-परिभाषित फॉर्मूलों के अनुसार जहां कहीं भी पेंशन 1000 रुपये से कम हो रही थी, वहां अतिरिक्त बजटीय सहायता प्रदान करके, दिनांक 01.09.2014 से ईपीएस, 1995 के तहत पेंशनभोगियों को प्रति माह 1000 रु. के न्यूनतम पेंशन का उपबंध।
- (iii) उन सदस्यों के संदर्भ में, ऐसे विनियम किए जाने की तिथि से पंद्रह वर्ष पूरा होने के पश्चात, सामान्य पेंशन की बहाली, जिन्होंने दिनांक 20.02.2020 की अधिसूचना जी.एस.आर.132(ई) के माध्यम से दिनांक 25.09.2008 को अथवा उससे पूर्व ईपीएस, 1995 के भूतपूर्व अनुच्छेद 12क के तहत पेंशन के संराशीकरण का लाभ उठाया।

(ग): भारत संघ तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने माननीय केरल उच्च न्यायालय के दिनांक 12.10.2018 के निर्णय को माननीय उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है, जिसके द्वारा ईपीएस - 95 में वर्ष 2014 में किए गए संशोधनों को रद्द किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2019 की विशेष अनुमति याचिका (ग) सं. 8658-8659 एवं अन्य संबंधित मामलों में, अपने दिनांक 24.08.2021 के आदेश के माध्यम से, मामलों को कम से कम तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष प्रस्तुत करने का निदेश दिया है। मामला अब न्यायाधीन है।

(घ): सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) को दिनांक 29.09.2020 को अधिसूचित किया गया था जिसमें कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 सहित 9 केन्द्रीय श्रम विधानों को समाहित किया गया है। नई संहिता की धारा 15 में कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए पेंशन सहित विभिन्न योजनाएं बनाने की परिकल्पना की गई है। हालांकि, उक्त संहिता को अभी लागू किया जाना है।

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 207
TO BE ANSWERED ON 18.07.2022**

EPS-95 SCHEME

207. SHRI RAJMOHAN UNNITHAN:

Will the Minister of LABOUR AND EMPLOYMENT be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that 30 lakhs of eligible pensioners have not yet received the minimum pension of Rs.1,000 even since introduction of the term PF Pension;**
- (b) whether the Government has taken steps to review and revise the EPS-95 scheme every ten years and if so, the details thereof and if not, the reasons therefor;**
- (c) whether the Supreme Court has constituted a three-member bench to inquire into the non-payment of pensions to the retiring workers and if so, the details thereof; and**
- (d) whether the Government is working on a comprehensive revision of the PF pension and if so, the details of the plan to implement the same in near future?**

ANSWER

**MINISTER OF STATE FOR LABOUR AND EMPLOYMENT
(SHRI RAMESWAR TELI)**

(a): No, Sir.

(b): The Employees' Pension Scheme (EPS), 1995 has been framed by the Central Government in accordance with the powers conferred by section 6A of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions (EPF and MP) Act, 1952. The EPS, 1995 came into force on 19.11.1995. Review and revision of schemes is an ongoing process. The provisions of the EPS, 1995 have been reviewed from time to time based on the recommendations of the Expert Committee and the High Empowered Monitoring Committee as well as taking into account the actuarial evaluation of the Employees' Pension Fund. Some of the important amendments made in EPS, 1995 are as under:

Contd..2/-

(i) Increase in wage ceiling from Rs. 6500/- to Rs.15000/- per month from 01.09.2014.

(ii) Provision of a minimum pension of Rs. 1000 per month to the pensioners under EPS, 1995 from 01.09.2014 by providing additional budgetary support wherever the pension was falling short of Rs.1000 as per pre-defined formula for calculation of pension.

(iii) Restoration of normal pension after completion of fifteen years from the date of such commutation, in respect of those members who availed the benefit of commutation of pension under the erstwhile paragraph 12A of the EPS, 1995, on or before 25.09.2008 vide notification G.S.R.132(E) dated 20.02.2020.

(c): The Union of India and the Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) have challenged the judgement dated 12.10.2018 of Hon'ble Kerala High Court, which set aside the 2014 amendments to the EPS-95, in the Hon'ble Supreme Court. The Hon'ble Supreme Court vide its order dated 24.08.2021 in Special Leave Petition (C) Nos.8658-8659 of 2019 and other connected cases directed to refer the matters to a Bench of at least three Judges. The matter is now sub-judice.

(d): The Code on Social Security, 2020 (36 of 2020), was notified on 29.09.2020, which subsumes 9 Central labour laws including the EPF and MP Act, 1952. Section 15 of the new Code envisages to frame various schemes including pension for the employees and their family members. However, the said Code has yet to come into force.
